

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त मकान/पुस्तक के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजस्वगत व्यक्तित्व या अन्य) होने की स्थिति में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही विभाग किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) मकान निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक विभाग को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल श्रेणी केवल आवासीय प्रयोजन के
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

पी+1
आवासीय

आवेदन क्रमांक 166 दिनांक 09/07/2019
प्राची जकेन्दु पारीक 510 डी माणक चन्द पारीक
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No- 8/393
घारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
मकान निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 6406/- जमा
जरिये रसीद संख्या 1031/6329, 6330
दिनांक 09/07/2019 को जमा करा दी है ।

१०/७/१९
सहायक नगर निर्वाहक
नगर निगम, जोधपुर